आवेदन पत्र

प्रति,

प्रधानाचार्य
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय,ग्वारीघाट, जबलपुर, मप्र

विषयः– दुकान क्रमांक................के संचालन हेतु दिनांक ...../...../2023 को समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा अनुसार आवेदन

मै...पिता का नाम...................................
.................उम्र..................फर्म का नाम एवं पता...
जी.एस.टी. क्रमांक..आयकर हेतु पेन नंबर.....................................है।

इस आवेदन के साथ प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, ग्वारीघाट, जबलपुर, मप्र के पक्ष में बैंकर्स डी.डी.क्रं..............................दिनांक.........................बैंक (जारी बैंक का नाम)...राशि...प्रस्तुत कर रहा हूं।

दुकान का मासिक किराया राशि रूपये...देने हेतु सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

भाग–1

प्रपत्र

निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा (तकनीकी प्रस्ताव)

निविदादाता द्वारा भरा जावेगा।

1– निविदाकार का नाम एवं पताः– ....

....

....

2– निविदाकार/संस्था/सोसायटीः– ....

(संगठन/साझेदारी की संख्या)

3– अनुभव (प्रमाण पत्र) संलग्न करें :– ....

4– विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्नः– ....

5– पैन नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें):– ....

6– जीएसटी नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें):– ....

7– आधार कार्डः– ....

8– अन्य प्रमाण पत्रः– ....

9– धरोहर राशि का विवरण बैंक/पोस्ट (प्रधानाचार्य शास. आयुर्वेद महा. जबलपुरके नाम देवें)

बैंक ड्राफ्टः– ....

बैंक का नामः– ....

दिनांकः– ....

राशिः– ....

10– फॉर्म की राशि का विवरण बैंक/पोस्ट (प्रधानाचार्य शास. आयुर्वेद महा. जबलपुर के नाम देवें)

बैंक ड्राफ्टः– ....

बैंक का नामः– ....

दिनांकः– ....

राशिः– ....

11– निर्धारित किराये की राशि रूपयेः– ....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

(निविदा आमंत्रण सूचना)

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट रोड, जबलपुर में निर्मित दुकान (क्रमांक 02 एवं 05) को मासिक किराये पर देने हेतु व्यक्तिगत/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि से महाविद्यालय के नियम एवं शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की बेवसाईट www.gac.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की कीमत 1000/ रू. (डी.डी. के रूप में प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के नाम देय होगा) भुगतान करना आवश्यक होगा । निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21/02/2023 सायं 05:00 वजे तक।

::निविदा की शर्तें::

1- निविदा सीलबंद लिफाफा जिस पर दुकान संचालन के लिये निविदा लिखा होना आवश्यक है।

2- निविदा दो लिफाफा पद्धति के अनुरूप होगी। निविदाकार को एक लिफाफे भाग 01 में निविदा प्रपत्र फार्म की राशि की रसीद/डीडी अमानत राशि की रसीद/डीडी, पेन नंबर, जी.एसटी. नं अनुभव प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, टर्नओवर प्रमाण पत्र इत्यादि तथा दूसरा लिफाफा भाग 02 में केवल वित्तीय प्रस्ताव देना होगा। दोनो लिफाफा भाग-1 एवं भाग-2 सील बंद कर एक बडे लिफाफे में रख कर जमा करना होगा। नियत तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा पर ही विचार किया जायेगा।

3- निविदाकार का चयन सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा भाग-01 के अनुरूप होगा, तकनीकी प्रस्ताव में अनुत्तीर्ण होने की दशा में संबंधित निविदाकार का वित्तीय लिफाफा भाग-02 नही खोला जाऐगा। चयन तकनीकी प्रस्ताव उत्तीर्ण होने के बाद अनुभव, उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री रेट एवं किराये की राशि के आधार पर किया जाऐगा।

4- प्रत्येक निविदा के तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे के साथ अमानत की राशि 1,00,000/ (एक लाख) रू. एवं निविदा फार्म की राशि 1000/ रू. (अंकन एक हजार रू. मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर के पक्ष में जमा की जाना आवश्यक है। बिना अमानत राशि एवं निविदा फार्म राशि की डी.डी. प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

5- निविदा नियत तिथि 20/02/2023 को समय 05:00 बजें अपरान्ह से पूर्व निविदा फार्म प्राप्त करना होगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि को छोडकर शेष निविदाकारों की राशि निविदा स्वीकृत होने के एक माह के अंदर वापिस की जावेगी।

6- प्रथम सफल निविदाकार द्वारा यदि प्रस्ताव स्वीकार न करने की स्थित मे सफल निविदाकार जो द्वितीय स्थान पर होगा, को निविदा समिति द्वारा निर्धारित एल-1, दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जाएगा तथा यह कार्य सफल निविदाकार के स्वीकृत दर पर अन्य वेंडर को भी कार्य दिया जा सकता है।

7- सफल निविदाकार को 500/- रू. के नॉनज्यूडिशयल स्टाम्प पर एक लिखित इकरारनामा देना होगा जिसका नमूना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस इकरारनामा के अंतर्गत सफल निविदाकार के असफल होने पर अन्य व्यवस्था करने पर हुये अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि या राजस्व वसूली के रूप में की जा सकेगी।

8- किसी भी निविदा मान्य/अमान्य करने अथवा किसी भी परिवर्तन का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर को होगा। इसके लिये किसी भी निविदाकार को कोई कारण बताया जाना आवश्यक नही होगा।

9- निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।

10- निविदाकार को दुकान संचालन कार्य का किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्थानीय निकाय/ प्राइवेट में कार्य करने का अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश संलग्न करना होगा।

11- अमानत राशि को पूर्ण या आशिंक रूप से निम्नलिखित मामलों में जप्त कर लिया जावेगा।

1- जब निविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

2-जब निविदाकार सर्विस संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

3- अमानत राशि को जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया गया हो। इस संबंध में महाविद्यालय जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

12- निविदाकार के फर्म/संस्था के नाम जी.एस.टी./आवश्यक रूप से लिखा जावे। बिना जी.एस.टी. क्रमांक के निविदा पर विचार नही किया जावेगा तथा उनकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13- निविदा में आयकर का नंबर दर्शाया जाना आवश्यक है तथा उनकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14- निविदा प्रस्तुत करने पर माना जावेगा कि निविदाकार को सभी उपरोक्त शर्ते स्वीकार है।

15- निविदा स्वीकार होने पर कार्यादेश के अनुसार कार्य न करने पर संबंधित संस्था/व्यक्ति पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी।

16- यह निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 01 वर्ष तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगी यदि सेवा संतोषजनक है तो 10 प्रतिशत किराये की राशि की वृद्धि करते हुये यह अवधि 03 वर्ष तक के लिये बढाई जा सकेगी।

17- किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय महाविद्यालय जबलपुर का होगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र जिला जबलपुर का होगा।

18- दुकान पूरी तरह कन्ट्रेक्ट की शर्तो पर संचालित होगी। दुकान किसी अन्य को हस्तांतरित नही की जावेगी और न ही उसका कोई भाग उप किरायेदारी आदि पर दे पायेगा।

19- निविदाकर्ता के द्वारा दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगर निगम जबलपुर से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा साथ ही संबंधित किसी भी सरकारी अथवा अन्य संस्था से लाइसेंस अथवा अनुमति लेने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान स्वयं करेगा।

20- दुकान हेतु विद्युत व्यवस्था के लिये म.प्र.रा.वि.मं. के नियमानुसार कमर्शियल मीटर/सबमीटर लगवाना अनिवार्य होगा तथा प्रचलित दर पर समस्त देयकों का भुगतान फर्म द्वारा किया जावेगा।

21- दुकान अधिपत्य के समय 03 माह का अग्रिम किराया जमा करना होगा तथा मासिक किराया प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा। चेक/डीडी/नकद लेखाकक्ष में जमा करना होगा।) किराया समय सीमा में जमा न करने की स्थिति में नियमानुसार निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

22- दुकान के संचालन के लिये मशीनों एवं अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जायेंगा तथा इस रख रखाव के हुये व्यय का वहन भी निविदाकार का ही होगा।

23- दुकान ठेकेदार/प्रधानाचार्य दोनो में से कोई भी पक्ष किसी भी समय एक माह पूर्व लिखित में सूचना देकर करार को रद्द कर सकता है।

24- नवनिर्मित दुकान भवन में पूर्व से उपलब्ध खिड़कियां, उनके कांच, ट्यूब लाईट, एल.ई.डी., पंखे, सहित सभी समान का रख रखाव तथा कान्ट्रेक्ट खत्म होने पर चालू (Working) हालत में पूर्व दी गई अवस्था में वापिस करने होंगे।

25- दुकान में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों अथवा भवन का दुरुपयोग नही होना चाहिए।

26- दुकान का न्यूनतम किराया (सिलिंग दर) रू0 5,000/- प्रतिमाह है इससे अधिक राशि का प्रस्ताव देने वाले निविदाकार (एच-1) का चयन किया जावेगा।

27- आवश्यकतानुसार निविदा की शर्तो में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकारी प्रधानाचार्य को होगा जिसे निविदाकार को मान्य करना अनिवार्य होगा।

28- किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर का होगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र जिला जबलपुर का होगा।

प्रधानाचार्य
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय जबलपुर, म.प्र.

क्रमांक/निविदा/

प्रतिलिपि-

1- कमिश्नर (राजस्व), जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव सह आयुक्त, संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रधानाचार्य
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय जबलपुर, म.प्र.